



Ref. No. 27121...7.43...117

Date 10.05.2017

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 5/वि. 1-79/2014-1340, राँची दिनांक 09-05-2017 के आलोक में पाठ्यक्रम सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन संशोधित की धारा 4(19) के अधीन निम्नांकित बी० एड० महाविद्यालयों के अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण प्रस्ताव पर निम्न संबंधन अवधि के लिए वर्णित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	NCTE Recognition सभ्यी पत्रांक/ दिनांक
1	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku TTC, Lupungdih, Chandil	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32369 दि०-29.05.2015
2	Madhusudan Mahto TTC, Chakradharpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-31750 दि०-20.05.2015
3	Jaminikant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32505 दि०-30.05.2015
4	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-45654 दि०-02.05.2016
5	Karim City College, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-35161 दि०-21.08.2015
6	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32330 दि०-28.05.2015
7	Jamini Kalyani Mahto College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-46157 दि०-02.05.2016
8	Netaji Subhash Institute of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32345 दि०-29.05.2015
9	Loyola College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32698 दि०-31.05.2015
10	Institute for Education, Seraikella-Kharsawan	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32079 दि०-25.05.2015

महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) माँ वेंणो देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या- WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कडिका-71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेगा तथा अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को तत्समय उपलब्ध करावेगा।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया.

(iv) एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।

(ग) AISHE portal पर data का upload.

(ग) IQAC का गठन।

कुलपति के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।

दिनांक 10.5.2017

पत्रांक KU/R/743/17

प्रतिलिपि-

1. निदेशक, (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची।
2. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
3. कुलपति/प्रति कुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक /सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
4. सचिका में।

 2017
10.5

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।